न्यायालय
उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलेक्टर राजगढ(अलवर)

(पीठासीन अधिकारी सुश्री रीगा खेतान आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या :– 03/88/2024 ऑनलाईन नम्बर 2024/411 प्रवेश तिथि: 03.072024

1. सन्तरा देवी पत्नी स्व0 श्री गजानन्द शर्मा आयु 76 वर्ष जाति ब्रहाम्ण निवासी ककराली रामपुरा तहसील टहला जिला अलवर। .... प्रार्थी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसीलदार टहला जिला अलवर ....अप्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ जिला-अलवर सत्यमेव जयते

प्रार्थना पत्र धारा 136 एल0आर0एक्ट0 1956
उपस्थित :1. श्री सीताराम वशिष्ट एड0 प्रार्थी
2. तहसीलदार टहला–अप्रार्थी

–:निर्णयः– दिनांक 18/12/2024

1 आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू–राजस्व अधिनियम बाबत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की हाल आराजी खाता संख्या 248 खसरा नम्बर 205/0.10, 231/1121/0.04, 232/1122/0.05, 234/0.89, 235/1123/0.08, 237/0.15, 718/1.49, 719/0.15, 720/0.89, 725/0.05, 726/1.27, 727/0.93, कुल किता 12 कुल रकबा 6.09 है0 वाके ग्राम ककराली रामपुरा तहसील टहला जिला अलवर में अवस्थित है। उक्त आराजी प्रार्थीया की कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी है। उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया का नाम **संतरा देवी पत्नी स्व0 श्री गजानन्द की जगह सहवन से सुतित्रा पत्नी स्व0 श्री गजानंद** दर्ज कर दिया। उक्त गलत इन्द्राज से प्रार्थीया के खातेदारी अधिकार नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहे है। जिसे न्यायहित में दुरूस्त किया जाना अति आवश्यक है। अन्त में प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर प्रार्थीया का सही नाम **संतरा देवी पत्नी गजानंद** दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार टहला जिला अवलर से रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार टहला जिला अलवर के पत्रांक क्रमांक/भू.अ./2024/3481 दिनांक 24.09.2024 की मौका जॉच रिपोर्ट प्राप्त हुई जोकि शामिल पत्रावली है। तहसीलदार टहला की जॉच रिपोर्ट एवं प्रार्थीया की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजो के अनुसार हाल रिकार्ड जमाबंदी में प्रार्थी का नाम संतरा देवी की जगह सहवन से सुमित्रा पत्नी गजानंद दर्ज कर रखा है। उसके स्थान पर प्रार्थी नाम संतरा देवी दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

3. बहस प्रार्थीया सुनी गई। दौरान–ए–बहस प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये उल्लेख किया कि प्रार्थी की प्रार्थी की हाल आराजी हाल आराजी खाता संख्या 248

उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़
जिला–अलवर

खसरा नम्बर 205/0.10, 231/1121/0.04, 232/1122/0.05, 234/0.89, 235/1123/0.08, 237/0.15, 718/1.49, 719/0.15, 720/0.89, 725/0.05, 726/1.27, 727/0.93, कुल किता 12 कुल रकबा 6.09 है0 वाके ग्राम ककराली रामपुरा तहसील टहला जिला अलवर में अवस्थित है। उक्त आराजी प्रार्थीया की कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी है। उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया का नाम **संतरा देवी पत्नी स्व0 श्री गजानन्द** की जगह सहवन से सुमित्रा पत्नी स्व0 श्री गजानंद दर्ज कर दिया। उक्त गलत इन्द्राज से प्रार्थी के खातेदारी अधिकार नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहे है। जिसे न्यायहित में दुरूस्त किया जाना अति आवश्यक है। अन्त में प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर प्रार्थी का सही नाम संतरा पत्नी गजानंद दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज आधार कार्ड संख्या 6941 8537 1068, भारत निर्वाचन आयोग का पहचान पत्र डब्लू एस वी/0211854, जनआधार संख्या 5100225566, आर.जी.एच.एस. कार्ड 13062021074031l645, एस.बी.आई बैंक पास बुक खाता संख्या 32859473938 तथा **प्रार्थीया के पुत्र सचिन कुमार शर्मा पुत्र श्री गजानंद शर्मा ने इस आशय का शपथ पत्र** पेश किया कि मेरी माता जी संतरा देवी को समस्त दस्तावेजों में नाम संतरा देवी दर्ज रिकार्ड है। तथा तहसीलदार टहला की रिपोर्ट आदि का अवलोकन किया। प्रार्थीया की ओर से प्रार्थना पत्र की पुष्टि में उक्तानुसार प्रस्तुत दस्तावेजात व तहसीलदार टहला की जॉच रिपोर्ट से भी प्रार्थना पत्र प्रार्थीया तथ्यो के सही होने की पूर्णरूप से पुष्टि होती है, प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 आराजी खाता संख्या 248 खसरा नम्बर 205/0.10, 231/1121/0.04, 232/1122/0.05, 234/0.89, 235/1123/0.08, 237/0.15, 718/1.49, 719/0.15, 720/0.89, 725/0.05, 726/1.27, 727/0.93, कुल किता 12 कुल रकबा 6.09 है0 वाके ग्राम ककराली रामपुरा तहसील टहला जिला अलवर स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार टहला को आदेश दिये जाते है कि वो उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया का नाम सुमित्रा पत्नी गजानंद दर्ज है उसके स्थान पर संतरा देवी पत्नी गजानंद दुरूस्त किया जावें तथा शेष इन्द्राज यथावत रखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 18.12.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पुर्ति जगा लेख भण्डार हो।

(सुश्री सीमा खेतान आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ
जिला अलवर

उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ जिला- अलवर
सत्यमेव जयते